52/

संख्या–2070 /XXVIII-5-2015-226/2014

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 **देहरादून : दिनांक 03 अक्टूबर, 2015**

विषय– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या–1049/2015 के अनुपालन में जनपद देहरादून के अन्तर्गत त्यूनी में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय की स्थापना हेतु प्रारम्भिक आगणन की अनुमोदित लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, देहरादून, इकाई–2 के पत्र संख्या–209/डीडीएन/रानिनि/डी–26/2015, दिनांक 18.03.2015 के कम में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या–1049/2015 के अनुपालन में जनपद देहरादून के अन्तर्गत त्यूनी में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय की स्थापना हेतु प्रारम्भिक आगणन की संस्तुत लागत **रु0 46.08 लाख (रूपये छियालिस लाख आठ हजार मात्र)** की धनराशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा आदि हेतु एकमुश्त अनुदान के अन्तर्गत **रु0 46.08 लाख** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर बजट मैन्युअल की व्यवस्थानुसार वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकता अनुसार) से कार्यस्थल का भली–भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरुप ही कार्य किया जाय।
3. अनुमोदित योजना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत किये गये लक्ष्यों व उद्देश्यों के कियान्वयन की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा की जाय तथा निर्माण कार्यों की लागत एवं समय में वृद्धि किसी भी दशा में न होने पाय, यह सुनिश्चित किया जाय।
4. महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना की निर्धारित अवधि वित्तीय/ भौतिक लक्ष्यों एवं लक्षित आउटपुट व आउटकम के अनुसार ही प्रगति हो रही है और उसमें कोई विचलन नहीं हो रहा है। योजना की नियमित व आवधिक समीक्षा समय–समय पर कर ली जाय।
5. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्ड पार्टी चैकिंग व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी, जिसके सापेक्ष आने वाला व्यय– भार कार्यदायी संस्था को देय सैन्टेज चार्जेज से ही वहन किया जायेगा।
6. यदि विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जायेगी।
7. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV–21(2006), दिनांक 30.05.2006, द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्यक हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। द्वितीय चरण के निर्माणात्मक कार्यो हेतु विस्तृत आगणन के गठन एवं अन्य संबंधित कार्यों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10. प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरुप कार्य हेतु पूर्व में कराई गयी डिजाईन/मानक पूर्णरुप से अथवा आंशिक रुप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है या वर्तमान कार्य में एक भाग की डिजाईन/मानक पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

11. द्वितीय चरण के विस्तृत आगणन को प्रेषित करते समय यह प्रमाण–पत्र अनिवार्य रुप से संलग्न किया जाये कि "प्रथम चरण के प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो चुके हैं।"

12. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2015–2016 की अनुदान संख्या–03 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 60–अन्य भवन, 800–अन्य व्यय, 02–मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान, 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–206(P)/XXVII(2)/2015-16, दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

<u>संलग्नक: अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या– **S1510030039**</u>

भवदीय

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>प0सं0-2076(1)/XXVIII-5-2015-226/2014, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी गढ़वाल।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून
8. इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, देहरादून, इकाई–2, हर्रावाला, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/अनुभाग–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

D:\NITAJAIRAJ\Nirman GO.doc